

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2049 / 2012 / अजमेर.

शिव शंकर टेडर्स, अजमेर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड—प्रथम बांसवाडा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22 / 04 / 2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील संख्या 63 / 2011-12 / वैट में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2012 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, द्वितीय, बांसवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा दिनांक 05.09.2011 को खजुरी से बिछीवाडा के बीच में वाहन संख्या जी.जे 1/एटी 9321 को चैक करने पर पाया कि वाहन में परिवहनित माल के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 8019950 की जांच में पाया कि पार्ट ए.बी. एवं सी. के महत्वपूर्ण कॉलम रिक्त अपूर्ण भरे पाये गये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में संलग्न कनार्टक राज्य का घोषणा पत्र ई-sugam form 4230149547 में अंकित वाहन संख्या वर्तमान वाहन संख्या से भिन्न होना पाया जिसे अधिनियम की धारा- 76(2) सपटित नियम 53 का उल्लंघन होना पाया। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा उपस्थित होकर लिखित में जवाब पेश करते हुए नया वैट-47 संख्या 8019969 पेश किया तथा दिनांक 09.09.2011 को ही फैसला किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रस्तुत जवाब के आधार पर उक्त कमियों के आधार पर घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण कॉलम रिक्त पाये जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डो के अनुशरण में अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण किया जाने का पर्याप्त आधार पाये जाने पर तथा वैट-संख्या 80199669 को पश्चात्वर्ती सोच का परिणाम मानते हुए स्वीकार नहीं करते हुए धारा 76(6) के तहत माल कीमत रूपये 12,99,415/- का 30 प्रतिशत

लगातार.....2



से शास्ति रूपये 3,89,825/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी, जिसपर अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को उचित मानते हुये अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि फार्म में महत्वपूर्ण कॉलम भरे हुये थे। माल चूँकि दूर से आ रहा था, अतः ट्रक अहमदाबाद से बदल लिया गया था। जिसका नम्बर भूल से लिखना रह गया था। फार्म में Material Particulars भरे हुये थे। अतः शास्ति देय नहीं होती है। अपने कथन के समर्थन में गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 व The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013 के निर्णयों का हवाला दिया। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार शेष भी दस्तावेज संलग्न थे। व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवहारी है तथा नियमित रूप से कर अदा करता है। उसकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। अतः आरोपित शास्ति को अवैधानिक बताकर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये शास्ति को उचित बताया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। फार्म में सभी महत्वपूर्ण कॉलम भरे हुये थे, केवल वाहन संख्या बदलने के कारण नया वाहन का नम्बर अंकित नहीं था। Material Particulars सभी भरे हुये थे। अतः यह फार्म स्वीकार योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 के प्रकरण में पैरा 20 में यह यह प्रतिपादित किया गया है कि :-

“20. The facts enumerated above in civil appeal No. 5197 of 2005 is the lead case in which one by the consignee. The material particulars like quality, weight and description of the goods required to be filled in by the assessee (consignee) were left blank. Therefore, in this batch of civil appeals we are concerned with cases where the goods in movement were carried with blank form St 18A. In our view, on the face of it there was xontravention of Section 78 (2) of the RST Act, 1994.”




The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013 में भी यह प्रतिपादित किया है कि Only because invoice number and date was left to be filled in, in my opinion, the form could not have been re-used.

उक्त निर्णयों के प्रकाश में जब Material Particulars भरे हुये थे तो फार्म को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही अपीलार्थी के द्वारा नया फार्म भी पेश किया गया था। अतः शास्ति अनुचित है। उक्त आधार पर आरोपित शास्ति अनुचित ठहरती है अतः आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।


22-4-14
(अमर सिंह)
सदस्य